न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **16/2021** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2021/16

शंकरलाल पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल चौधरी निवासीःकरणपुर तहसील वल्लभनगर जिला–उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसलीदार वल्लभनगर दिनांक 06.11.2020
प्रकरण संख्या 687/2020

उपस्थित : श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 26/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 687/2020 आदेश दिनांक 06.11.2020 से नाराज होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करणपुर, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर में हाल आराजी संख्या 5321/2221 क्षेत्रफल 0.30 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम बताते हुए अपीलार्थी का अनाधिकृत अतिक्रमण बताते हुए पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 06.11.2020 को उत्तर प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि उक्त आराजी के साबिक आराजी नंबर 1389 होकर अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है। भू–प्रबंध विभाग ने नक्शे एवं जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का कब्जा अनाधिकृत नहीं माना जा सकता तथा अपीलार्थी धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अभिलेख

जिला कलक्टर
उदयपुर

दुरुस्ती की कार्यवाही अलग से करेगा। उक्त जवाब का कोई खण्डन प्रत्यर्थी की ओर से नहीं किया गया तथा उक्त जवाब के तथ्य को तहसीलदार ने नजर अंदाज करते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश तथा 750/–रुपये शास्ती आरोपित की जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करणपुर, तहसील वल्लभनगर, उंदयपुर में हाल आराजी संख्या 5321/2221 क्षेत्रफल 0.30 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम बताते हुए अपीलार्थी का अनाधिकृत अतिक्रमण बताते हुए पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 06.11.2020 को उत्तर प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि उक्त आराजी के साबिक आराजी नंबर 1389 होकर अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है। भू–प्रबंध विभाग ने नक्शे एवं जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का कब्जा अनाधिकृत नहीं माना जा सकता तथा अपीलार्थी धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अभिलेख दुरुस्ती की कार्यवाही अलग से करेगा। उक्त जवाब का कोई खण्डन प्रत्यर्थी की ओर से नहीं किया गया तथा उक्त जवाब के तथ्य को तहसीलदार ने नजर अंदाज करते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश तथा 750/–रुपये शास्ती आरोपित की। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अखण्डित आपत्ति को नहीं मानने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। बन्दोबस्त की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई हैं ना ही अधिसूचना का राजपत्र मे प्रकाशन हुआ है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। नाप जोख के बाद यदि अपीलार्थी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से भी माना जाता है तो भी अपीलार्थी एक भूमिहिन काश्तकार हैं, जो आवंटन/नियमन की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने की दशा में पत्रावली को आवंटन कमेटी में विचार के लिए प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जो नहीं कर अपने अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करणपुर, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर में हाल आराजी संख्या 5321/2221 क्षेत्रफल 0.30 हैक्टेयर बिलानाम भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किए जाने से नियमानुसार अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किए जाकर दिनांक 06.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए। साबिक आराजी संख्या 1389 से हाल आराजी संख्या 5321/2221 बना है इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। यदि रेकर्ड में कोई गलती थी तो अपीलाण्ट को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करनी चाहिए थी। ना ही अपीलाण्ट द्वारा समक्ष न्यायालय में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलाण्ट द्वारा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा विधिवत भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि राजस्व ग्राम करणपुर, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर के साबिक आराजी नंबर 1389 से हाल आराजी संख्या 5321/2221 बने है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अतिक्रमित भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। यदि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे एवं जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया गया है तो अपीलाण्ट को सक्षम न्यायालय में घोषणा/दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलबध नहीं है जो यह प्रकट करता हो कि अपीलार्थी द्वारा किसी न्यायालय में जमाबन्दी एवं नक्शे में दुरूस्ती हेतु कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने प्र.स. 687/2020 में पारित

जिला कलक्टर
उदयपुर

आदेश दिनांक 06.11.2020 से जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जाती है।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर